दिनांक 09.11.2015 को वन पदाधिकारियों की त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

1. सर्वप्रथम कैम्पा से संबंधित कार्य की समीक्षा की गई । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा श्री ए0के0 पाण्डेय ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के वार्षिक योजना कार्यक्रम पर स्वीकृति देते हुए 70 प्रतिशत राशि की विमुक्ति का आदेश दे दिया गया है । अवशेष 30 प्रतिशत राशि विमुक्ति हेतु निम्न शर्तें लगाये गये हैं :–

(क) अवशेष क्षतिपूरक वनरोपण के अगामी तीन वर्षों की योजना ।

(ख) एडहोक कैम्पा के एकाउन्ट का reconciliation

(ग) कैम्पा के खाते का CAG Audit.

(घ) लेखा का Double entry System.

(च) अद्यतन QPR

उपरोक्त के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा ने सभी पदाधिकारियों से निम्न विन्दुओं पर कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया है ।

1.1 अवशेष क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्थल विशेष प्रस्ताव सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा दिनांक 30.11.2015 तक भेज दिया जाय ।

अनुपालन सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी

1.2 Adhoc Campa खाते के reconciliation के संबंध में कई सूचनायें प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची के पास है ।

अतः यह निदेश दिया गया कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड से विचार–विमर्श कर सभी सूचनायें प्राप्त कर लें एवं reconciliation करें । यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के कार्यालयों के बीच में वेहतर समन्वय होना आवश्यक है । इसलिए ये दोनों अधिकारी प्रत्येक सप्ताह आपस में बैठक करें । लेखा

reconciliation की स्थिति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा दिनांक 08.12.2015 तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक को बतायें ।

(अनुपालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, रांची)

1.3 E-green portal में वर्तमान (वर्ष 2014–15) एवं इसके पूर्व के कार्यों (वर्ष 2014–15 के पूर्व का कार्य)को अद्यतन करने के संबंध में सभी पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया है कि वे क्रमशः 30 नवम्बर 2015 एवं 31.01.2016 तक यह कार्य पूर्ण कर लें ।

(अनुपालन सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं संबंधित वन संरक्षक)

1.4 ~~दिनांक~~ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा के स्तर पर दिनांक 08.12.2015 को जो बैठक होगा उसमें उपरोक्त बिन्दुओं कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की जायेगी एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जायेगा ।

1.5 QPR (Quarterly Progress Report) – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा ने अवगत कराया कि इससे संबंधित प्रतिवेदन की स्थिति बहुत ही धीमी है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निदेश दिया कि QPR 1 एवं 2 से संबंधित स्थिति प्रतिवेदन दिनांक 20. 11.2015 तक समर्पित करें । जो भी वन प्रमण्डल पदाधिकारी QPR समर्पित नहीं करते हैं उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय ।

(अनुपालनः सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक /संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक)

1.6 कैम्पा लेखा : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा ने अवगत कराया गया कि मई 2015 तक का लेखा 22 प्रमण्डल से प्राप्त नहीं हुआ है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने समय पर लेखा नहीं समर्पित करने वाले सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारियों को मई 2015 तक का लेखा 10 दिनों के अन्दर समर्पित करने का निर्देश दिया और यह भी अवगत करया कि भविष्य में जो भी पदाधिकारी योजना, गैर योजना, मनरेगा, कैम्पा, एफ0डी0ए0 का लेखा समय पर समर्पित नहीं करते हैं तो उनके गोपनीय प्रतिवेदन में

इसे दर्ज कर दिया जायेगा । इससे संबंधित एक आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा निर्गत किया जायेगा ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अपने मासिक बैठक में उपरोक्त योजनाओं में नियमित रूप से लेखा समर्पण की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह समय पर सभी योजनाओं का लेखा समर्पित हो जाय ।

(कार्रवाई – सभी नियंत्री पदाधिकारी)

1.7 उत्तरजीवितता :

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा ने उत्तरजीविता से संबंधित प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने की स्थिति प्रतिवेदित की । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने बताया कि उत्तरजीविता प्रतिवेदन समर्पित करने की अवधि निर्धारित है और प्रत्येक वनरोपण योजना में इसे निर्धारित माह (अक्टूबर एवं अप्रैल) में ही इसे जमा किया जाना अनिवार्य है, जो भी पदाधिकारी ऐसा नहीं करते हैं वे स्थापित मार्ग निर्देशों का उल्लंघन कर रहें हैं एवं इसकी पुनरावृति नहीं होनी चाहिए । अतः अक्टूबर' 15 की सभी योजनाओं में वनरोपण की उत्तरजीवितता दिनांक 30.11.2015 तक निश्चित रूप से सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी समर्पित करें ।

(कार्रवाई – सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी)

1.8 नये वनरोपण क्षेत्रों की सूची के संबंध में :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में वनरोपण हेतु अग्रिम कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिए । परन्तु अभी तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के स्तर से इस संबंध में वनरोपण स्थलों की सूची प्रमण्डलवार अप्राप्त है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा निर्देश दिया गया है सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी / क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज से यह सूचना दिनांक 20.11.2015 तक प्राप्त हो जाना चाहिए ।

(कार्रवाई सभी क्षे0मु0व0सं0 /मु0व0सं0, वन्यप्राणी)

2. वन विकास निगम से संबंधित बिन्दु

बैठक में प्रबंध निदेशक, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड, रांची विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हुए थे । बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने यह बात उठायी कि विशिष्ट एवं अन्य प्रजाति के प्रकाष्ठ के दर का

निर्धारण (वर्ष 2013 के बाद) अभी तक नहीं होने के कारण जप्त लकड़ियों एवं अन्य प्रकाष्ट की बिक्री में कठिनाई हो रही है एवं प्रकाष्ट की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रही है ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– प्रबंध निदेशक, राज्य वन विकास निगम ने अवगत करया कि विशिष्ट प्रजाति के प्रकाष्ट का दर इस माह निर्धारित कर दिया जायेगा । अन्य प्रजाति के प्रकाष्ट के दर का निर्धारण हो चुका है एवं वे इसे शीघ्र सूचित कर देंगे ।

इसके अलावे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–प्रबंध निदेशक, राज्य वन विकास निगम द्वारा यह अवगत करया गया कि सीसल वृक्षारोपण वृहत रूप से करने की योजना है, जिससे कि सीसल फाईवर का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो सके । प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देश दिया कि वर्किंग प्लान के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर 30 नवम्बर 2015 तक उपलब्ध करावें जिससे कि उसकी समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके ।

(कार्रवाई – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह – प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम, रांची)।

3. मनरेगा convergence

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजना ने अवगत करया कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति है और विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में यह अपेक्षा की जा रही है कि वन विभाग सक्रिय रूप से मनरेगा convergence योजना को तैयार करें जिससे कि मानव दिवस का सृजन हो सके ।

बैठक में सभी तथ्यों पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय हुआ कि वन विभाग के सामाजिक वानिकी वन प्रमण्डल इस योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग ले और वन भूमि में मृदा संरक्षण कार्य (चैक डैम, कन्टूर, गली प्लगिंग) को सम्पादित करें । इसके अलावे योजनाओं में एफ0डी0ए0 जैसी योजनाओं में ट्रेन्च निर्माण का कार्य मनरेगा कनभरजेन्स योजना से लिया जा सकता है ।

सभी सामाजिक वानिकी प्रमण्डल का कार्य क्षेत्र संलग्न सूची (क) में दर्शाये गये हैं ।

अनुपालन सभी सामाजिक वानिकी प्रमण्डल

4. वन्यप्राणी प्रभाग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची ने अवगत करया है कि मुआवजा से संबंधित प्रतिवेदन

सिर्फ हजारीबाग एवं पलामू क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है । मुआवजा की राशि का खर्च की अद्यतन स्थिति उपलब्ध नहीं रहने से विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में सही स्थिति प्रतिवेदित करने में काफी कठिनाई होती है । अतः बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अक्टूबर माह तक मुआवजा से संबंधित प्रतिवेदन 30.11.2015 के अन्दर निश्चित रूप से भेज दें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक ने यह भी अवगत कराया कि जो भी रिटर्न मुख्यालय को भेजा जाय उसकी जांच सावधानी पूर्वक कर ली जाय एवं तत्पश्चात इसे अग्रसारित करने की कार्रवाई की जाय ।

(कार्रवाई – सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी / मुख्य वन संरक्षक – सह क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटनगंज)

5. <u>योजना</u>

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास ने अवगत कराया कि वाईल्ड लाईफ काइम, इको टूरिज्म मद में योजना की स्वीकृति हो गई है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने अवगत कराया कि वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण हेतु जो राशि का प्रावधान किया जा रहा है, इससे संबंधित योजना को सावधानीपूर्वक तैयार की जानी है । इसके संबंध में निर्णय हुआ कि सभी बिन्दुओं पर समीक्षा कर प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक समिति का गठन कर दिया जाय, जो 15 दिनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन समर्पित कर देगा ।

(अनुपालन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, निदेशन एवं प्रशासन, रांची)

5.1 <u>योजना</u>

योजना मद में कार्यालय को आधुनिकीकरण की राशि खर्च नहीं होने के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास ने अवगत कराया कि इस मद में राशि का आवंटन किया जाना है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा निदेश दिया गया कि कार्यालयों का आधुनिकीकरण मद में जो भी राशि उपलब्ध कराया जा रहा है उससे उपस्कर का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के दर के अनुरूप किया जाय । साथ हीं सभी उपस्कर प्राधिकृत एजेन्सी से ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाय ।

(कार्रवाई – सभी निकासी एवं व्ययन पदा0)

5.2 <u>वन प्रबंधन सुविधाऐं</u>

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के द्वारा निदेश दिया गया कि जो भी राशि का आवंटन हो गया है, उसका खर्च 31.12.2015 तक निश्चित रूप से समाप्त करें ।

इस कम में यह भी निर्णय लिया गया कि मरम्मति का कार्य 31.12.2015 एवं नये निर्माण का कार्य दिनांक 31.01.2015 तक निश्चित रूप से पूरा कर लें ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा यह सूचित किया गया कि राशि की निकासी पूर्व के वर्षों की भांति वित्तीय वर्ष की समाप्ती तक करने की प्रवृति बन्द करना होगा क्योंकि इस वर्ष वित्त विभाग के द्वारा 15 फरवरी के उपरान्त राशि की निकासी पर रोक लगाया जा सकता है ।

(अनुपालन सभी वन पदाधिकारी/ निकासी एवं ब्ययन पदाधिकारी)

6. <u>ईको – टूरिज्म</u>

यह भी एक नई योजना है, यह इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो रही है । इस योजना को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने हेतु Expression of interest आमंत्रित करने की आवश्यकता महसूस की गई । तदानुसार यह निर्णय लिया गया कि इससे संबंधित सभी विन्दुओं की समीक्षा कर एक स्पष्ट अनुशंसा एक समिति करेगी । समिति का प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ।

(अनुपालन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, निदेशन एवं प्रशासन, रांची)

7. <u>मुआवजा</u>

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने अवगत करया कि पूरे पलामू एवं गढ़वा जिला में नीलगाय से फसल की क्षति की शिकायत लगातार प्राप्त होती रहती है एवं इसके रोकथाम हेतु कारगर उपाय तैयार किए जाने चाहिये । तदनुसार क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू को निदेश दिया गया कि वे बिहार में भी नीलगाय से हो रही फसल की क्षति रोकथाम हेतु की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करें एवं समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर 15 दिनों के अन्दर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक से विचार–विमर्श कर समर्पित करें ।

अनुपालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू ।

8. N.I.C. mail

इस विषय पर चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि इस माह तक सभी पदाधिकारियों द्वारा nic mail का व्यापक रूप से उपयोग करेंगे ।

अनुपालन सभी वन पदाधिकारी ।

9. मोबाईल aplication

इसके संबंध में ज्यादातर रीजन में मोबाईल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ पलामू रीजन में यह एप्लीकेशन पूर्ण रूप से कतिपय कारणों से functional नहीं है । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू ने यह भी अवगत कराया कि कुछ वनरोपण प्रक्षेत्रों का नाम एप्लीकेशन सूची में नहीं है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची ने निदेश दिया कि इसके संबंध में आवश्यक सुधार वन संरक्षक, वनरोपण एवं शोध अंचल, रांची सुनिश्चित करेंगे ।

(अनुपालन वन संरक्षक, वनरोपण एवं शोध अंचल, रांची)

10. D.S.S. (Decision Support System) बैठक में यह बात सामने आई कि DSS का व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची द्वारा निदेश दिया गया कि श्री पी0आर0 नायडू, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, योजना जनजातीय क्षेत्र, रांची से संबंधित पदाधिकारी संपर्क कर त्रुटियों का निराकरण सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन – वन प्रमण्डल पदाधिकारी, योजना जनजातीय क्षेत्र, रांची)

11. मानव संसाधन प्रभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास ने अवगत कराया कि CPgram में प्राप्त आवेदनों को ससमय निपटारा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसकी समीक्षा प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है । उन्होंने अवगत करया कि अभी तक 251 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से वन विभाग से संबंधित 207 आवेदन हैं एवं शेष आवेदन प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से संबंधित है । इन 207 आवेदनों में मात्र 29 आवेदनों का निपटारा अभी तक हो पाया है ।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने अवगत करया कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी के स्तर से संबंधित उपायुक्त को ससमय जवाब दे दिया जाता है । अतः जो लम्बित ममाले दर्शाये जा रहे हैं वह वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा निदेश दिया गया कि जो भी जबाव वन प्रमण्डल पदाधिकारियों के द्वारा उपायुक्त को दिया जाता है उसकी प्रति उसी दिन मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता, झारखण्ड, रांची को भी देना सुनिश्चित करें ।

अनुपालन सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी ।

11.1 Biometric attendance

इस संबंध में बैठक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास ने जानकारी दी कि प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 114 कार्यालयों में से 51 कार्यालयों में यह system Install नहीं हुआ है । उपस्थित वन पदाधिकारियों ने अवगत कराया कि ज्यादातर कार्यालयों में Biometric Attendance System चालू हो गया है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि वे सभी पदाधिकारी तीन दिनों के अन्दर तैयार किये फोरमेट में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें ।

(अनुपालन सभी कार्यालय प्रधान)

11.2 विभागीय कार्यवाही

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास ने अवगत कराया कि वनपाल, वनरक्षी एवं सहायक के 110 विभागीय कार्यवाही लम्बित चल रहे हैं । कुछ मामले वर्ष 2008 के भी हैं । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने निदेश दिया गया कि स्थिति बहुत हीं चिन्ताजनक है । वर्ष 2013 तक के सभी लम्बित विभागीय कार्यवाही एक माह के अन्दर एवं 2013 से 2015 तक के सभी मामले जनवरी, 2016 तक निस्तारित करें ।

(अनुपालन सभी जांच पदाधिकारी)

11.3 सेवान्त लाभ

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन ने अवगत कराया कि कुल 131 मामले लम्बित हैं । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले त्रैमासिक बैठक के पूर्व सभी 131 मामलों का निपटारा कर दिया जाय एवं अनुपालन प्रतिवेदन के साथ सभी कार्यालय प्रधान बैठक में भाग लेंगे ।

(अनुपालन सभी कार्यालय प्रधान)

12. <u>वर्किंग प्लान</u>

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन कार्य नियोजना ने अवगत कराया कि सभी प्रमण्डलों से नक्शा प्राप्त हो चुका है एवं इसे भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त सभी प्रमण्डलों में वन कार्य नियोजना पर भी भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है एवं शीघ्र हीं झारखण्ड उन राज्यों में से एक हो जायेगा जहां पर सभी वन कार्य नियोजना पर भारत सरकार की सहमति प्राप्त है ।

13. <u>Eco-sensative Zone</u>

ईको सेंसेटिभ जोन के संबंध में प्रस्तुतीकरण मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, रांची के द्वारा किया गया जिसमें सभी 10 Eco Sensitive Zone के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा निदेश दिया गया कि Eco Sensitive Zone के एरिया को परिभाषित करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि Conflict कम से कम हो और सभी Sensitive area में Buffer area भी रहे ।

मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड रांची ने अवगत करया कि Eco Sensitive Zone का ज्यादातर क्षेत्र वैसे हैं, जहां पर पूर्व से हीं अधिसूचित वन भूमि अवस्थित है और वे अगले प्रस्तुतीकरण के समय यह भी दर्शायेंगे कि Eco Sensitive Zone में वन भूमि का कौन कौन से हिस्सा पड़ता है ।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित आश्रयणी एवं Eco Sensitive Zone को गूगल मैप पर दर्शाते हुए अगला प्रस्तुतीकरण किया जाय ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने यह भी सुझाव दिया कि मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, प्रादेशिक वन प्रमण्डल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे प्राप्त in put को भी Eco Sensative Zone का क्षेत्र निर्धारित करते समय ध्यान में रखेंगे ।

अनुपालन मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं
सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ।

12/11/15

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची ।

ज्ञापांक :   दिनांक : 12-11-2015

प्रतिलिपि :- 3642

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – सह– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम, रांची /सभी मुख्य वन संरक्षक / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक / सभी वन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(2) ENVIS Centre, वन भवन, डोरण्डा, रांची को website पर upload करने हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची ।

ज्ञापांक : 3642   दिनांक : 12-11-2015

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

12/11/15

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची ।